भारत–अमेरिका सामरिक संबंध (वर्ष 2004 से वर्तमान तक)

सुनील वर्मा

सहायक आचार्य, राजनीति विज्ञान

राजकीय महाविद्यालय केकड़ी

सारांश: वर्ष 2004 के बाद भारत–अमेरिका सामरिक संबंधों में उल्लेखनीय विस्तार हुआ है, जिससे द्विपक्षीय संबंध एक व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित हुए हैं। 2005 का नागरिक परमाणु समझौता इस दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर रहा, जिसने दीर्घकालिक सहयोग की नींव रखी। इसके बाद रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क, DTTI, 2+2 वार्ता और आतंकवाद-रोधी पहल ने सहयोग को संस्थागत और सुदृढ़ बनाया। वासेनार व्यवस्था (2017) और MTCR (2016) में भारत की भागीदारी ने उसकी वैश्विक स्थिति को मजबूत किया। साथ ही, "मेजर डिफेंस पार्टनर" का दर्जा और GSOMIA, LEMOA, COMCASA तथा BECA जैसे समझौतों ने सैन्य सहयोग और तकनीकी साझेदारी को नई ऊँचाई दी। यद्यपि कुछ चुनौतियाँ विद्यमान हैं, फिर भी यह संबंध वैश्विक एवं क्षेत्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

मुख्य शब्द: भारत–अमेरिका संबंध, नागरिक परमाणु समझौता, रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क, DTTI, 2+2 वार्ता, आतंकवाद-रोधी सहयोग, वासेनार व्यवस्था, MTCR, मेजर डिफेंस पार्टनर, आधारभूत रक्षा समझौते।

प्रस्तावना: -

21वीं सदी में वैश्विक राजनीति के बदलते स्वरूप—जैसे वैश्वीकरण, तकनीकी प्रगति, आतंकवाद और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र के बढ़ते महत्व—ने अंतरराष्ट्रीय सहयोग को अधिक जटिल और बहुआयामी बना दिया है। इसी परिप्रेक्ष्य में भारत–अमेरिका संबंधों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुआ है, जो अब एक व्यापक सामरिक साझेदारी के रूप में विकसित हो चुके हैं। शीत युद्ध के दौरान सीमित रहे ये संबंध, शीत युद्ध की समाप्ति और 1990 के दशक के आर्थिक उदारीकरण के बाद नए आयामों में विस्तार करने लगे। विशेष रूप से 2004 के बाद यह सहयोग अधिक सशक्त हुआ, जिसमें 2005 का नागरिक परमाणु समझौता एक ऐतिहासिक मोड़ सिद्ध हुआ। इसके बाद रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क, DTTI, 2+2 वार्ता, आतंकवाद-रोधी पहल तथा वासेनार व्यवस्था और MTCR जैसी व्यवस्थाओं में भागीदारी ने इस साझेदारी को गहराई दी। साथ ही, "मेजर डिफेंस पार्टनर" का दर्जा और GSOMIA, LEMOA, COMCASA तथा BECA जैसे समझौतों ने सैन्य और तकनीकी सहयोग को सुदृढ़ किया। यद्यपि इस साझेदारी के साथ रणनीतिक स्वायत्तता, क्षेत्रीय संतुलन और नीतिगत मतभेद जैसी चुनौतियाँ भी जुड़ी हैं, फिर भी दोनों देशों ने संवाद और सहयोग के माध्यम से इन्हें संतुलित करने का प्रयास किया है। वर्तमान में यह संबंध न केवल द्विपक्षीय स्तर पर, बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय राजनीति, विशेषकर इंडो-पैसिफिक क्षेत्र की स्थिरता में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

भारत–अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता – **2005: -**

वर्ष 2005 का भारत–अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता दोनों देशों के सामरिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मोड़ सिद्ध हुआ। 18 जुलाई 2005 के संयुक्त वक्तव्य के माध्यम से इसकी शुरुआत हुई, जिसका उद्देश्य भारत को उन्नत परमाणु तकनीक एवं ईंधन तक पहुँच प्रदान करना तथा दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी को सुदृढ़ करना था। अमेरिका ने भारत के साथ नागरिक परमाणु सहयोग बढ़ाने और NSG में आवश्यक बदलाव का आश्वासन दिया, जबकि भारत ने नागरिक एवं सैन्य परमाणु प्रतिष्ठानों के पृथक्करण तथा अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों के पालन की प्रतिबद्धता व्यक्त की। यह समझौता इसलिए विशेष है क्योंकि भारत, NPT का हस्ताक्षरकर्ता न होते हुए भी, वैश्विक परमाणु व्यापार में प्रवेश कर सका और उसे व्यवहारिक रूप से परमाणु शक्ति के रूप में मान्यता मिली। समर्थकों के अनुसार यह ऊर्जा सुरक्षा और विकास में सहायक है, जबकि आलोचक इसे अधिक सामरिक एवं सैन्य दृष्टि से प्रेरित मानते हैं। समझौते के प्रमुख मुद्दों में IAEA के अंतर्गत सुरक्षा उपाय, NSG छूट तथा चयनित नागरिक प्रतिष्ठानों पर निगरानी शामिल हैं, जिससे भारत को अपने सैन्य कार्यक्रम को स्वतंत्र रूप से संचालित करने की सुविधा मिली। साथ ही, विखंडनीय पदार्थ उत्पादन पर कोई बाध्यता न होने से परमाणु क्षमता विस्तार की संभावना बनी रहती है। दक्षिण एशिया में यह समझौता शक्ति संतुलन को प्रभावित कर सकता है तथा भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच प्रतिस्पर्धा को बढ़ा सकता है। इस प्रकार, यह समझौता न केवल द्विपक्षीय संबंधों को नई दिशा देता है, बल्कि वैश्विक अप्रसार

व्यवस्था और क्षेत्रीय सुरक्षा पर भी व्यापक प्रभाव डालता है, जिसके लिए संतुलित दृष्टिकोण आवश्यक है।

रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क **– 2005 – 10** वर्ष का **– DTTI: -**

भारत और अमेरिका के बीच रक्षा सहयोग की औपचारिक शुरुआत 1995 में "Agreed Minute on Defense Relations" से हुई, जिसके अंतर्गत Defence Policy Group (DPG) की स्थापना की गई। इस सहयोग को आगे बढ़ाते हुए जून 2005 में "नया रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क समझौता" हस्ताक्षरित किया गया, जिसने द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को एक व्यापक और संरचित दिशा प्रदान की। इसमें रक्षा व्यापार, संयुक्त सैन्य अभ्यास, सैन्य कर्मियों का आदान-प्रदान, समुद्री सुरक्षा तथा आतंकवाद-रोधी सहयोग को विशेष महत्व दिया गया। यह समझौता दीर्घकालिक दृष्टि से तैयार किया गया था, जिसे 2015 में अगले 10 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया, जिससे रणनीतिक विश्वास और साझेदारी और मजबूत हुई। इस फ्रेमवर्क का प्रमुख घटक "Defence Technology and Trade Initiative (DTTI)" है, जिसका उद्देश्य सह-विकास और सह-उत्पादन के माध्यम से रक्षा सहयोग को नई दिशा देना है। प्रारंभ में "कार्टर पहल" के रूप में शुरू हुई इस पहल के अंतर्गत संयुक्त अनुसंधान, उत्पादन और सैन्य आधुनिकीकरण पर बल दिया गया। 2015 में इसके तहत चार "पाथफाइंडर परियोजनाएँ" चिन्हित की गईं, जिनमें निगरानी प्रणाली, ऊर्जा स्रोत और सैनिक सुरक्षा उपकरणों का संयुक्त विकास शामिल था। यह पहल "मेक इन इंडिया" नीति से भी जुड़ी है, जिससे भारत के रक्षा उत्पादन क्षेत्र को सुदृढ़ करने में सहायता मिलती है। भारत के लिए इस सहयोग का मुख्य उद्देश्य केवल हथियारों की खरीद नहीं, बल्कि तकनीकी हस्तांतरण प्राप्त करना है, ताकि वह उपभोक्ता के बजाय साझेदार की भूमिका निभा सके और भविष्य में निर्भरता कम हो। यद्यपि अमेरिकी रक्षा तकनीक अत्याधुनिक है, परंतु उस पर कई प्रतिबंध भी लागू होते हैं। इसके बावजूद, यह फ्रेमवर्क भारत–अमेरिका रक्षा संबंधों को नई ऊँचाई प्रदान करता है और दीर्घकालिक रणनीतिक साझेदारी तथा तकनीकी आत्मनिर्भरता को सुदृढ़ करता है, भले ही तकनीकी हस्तांतरण से जुड़ी कुछ चुनौतियाँ अभी भी बनी हुई हैं।

2+2 वार्ता**: -**

भारत और अमेरिका के बीच "2+2 वार्ता" एक महत्वपूर्ण कूटनीतिक एवं सामरिक संवाद तंत्र है, जिसमें दोनों देशों के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री संयुक्त रूप से भाग लेते हैं। इस वार्ता का उद्देश्य विदेश नीति और रक्षा नीति से जुड़े मुद्दों को एकीकृत रूप में समझना और उनका समन्वित समाधान निकालना है। सितंबर 2018 में आयोजित पहली 2+2 मंत्रीस्तरीय बैठक ने भारत–अमेरिका संबंधों को नई दिशा प्रदान की और इसे दोनों देशों के बीच बढ़ते रणनीतिक सहयोग का प्रतीक माना गया। इस संवाद के अंतर्गत सुरक्षा, रक्षा, रणनीति, व्यापार, ऊर्जा, आतंकवाद-रोधी सहयोग तथा इंडो-पैसिफिक क्षेत्र से जुड़े मुद्दों पर व्यापक चर्चा की जाती है। यह वार्ता दोनों देशों के बीच उच्च-स्तरीय नीति

समन्वय को मजबूत करती है तथा क्षेत्रीय स्थिरता और वैश्विक सुरक्षा को बढ़ावा देने में सहायक है। इसके माध्यम से भारत और अमेरिका ने कई महत्वपूर्ण समझौते और पहलें की हैं, जिनमें रक्षा सहयोग को बढ़ाना, तकनीकी साझेदारी को सुदृढ़ करना तथा सैन्य इंटर-ऑपरेबिलिटी (inter-operability) को विकसित करना शामिल है। 2+2 वार्ता का एक प्रमुख परिणाम रक्षा क्षेत्र में "COMCASA" जैसे समझौतों का संपादन है, जिससे दोनों देशों के बीच सुरक्षित संचार, खुफिया जानकारी का आदान-प्रदान तथा उन्नत रक्षा तकनीकों तक पहुँच संभव हुई है। इसके अतिरिक्त, इस संवाद के माध्यम से संयुक्त सैन्य अभ्यासों, समुद्री सहयोग, साइबर सुरक्षा तथा आतंकवाद के विरुद्ध साझा रणनीति को भी बढ़ावा मिला है। हालाँकि, इस वार्ता के बावजूद कुछ महत्वपूर्ण मुद्दे अब भी चुनौती बने हुए हैं, जैसे व्यापारिक मतभेद, वीज़ा नीति (H-1B), ईरान से तेल आयात, रूस के साथ भारत के रक्षा संबंध तथा CAATSA जैसे प्रतिबंधात्मक कानून। इन मुद्दों के कारण दोनों देशों को अपने-अपने राष्ट्रीय हितों के बीच संतुलन बनाते हुए सावधानीपूर्वक कूटनीतिक प्रयास करने पड़ते हैं। समग्र रूप से, 2+2 वार्ता भारत–अमेरिका संबंधों में एक संस्थागत और प्रभावी मंच के रूप में उभरी है, जिसने द्विपक्षीय सहयोग को बहुआयामी बनाया है। यह न केवल रक्षा और सुरक्षा सहयोग को सुदृढ़ करती है, बल्कि दोनों देशों के बीच रणनीतिक विश्वास, संवाद और साझेदारी को भी गहराई प्रदान करती है।

आतंकवाद-रोधी सहयोग पहल समझौता **(Counter Terrorism Cooperation Initiative Agreement): -**

भारत और अमेरिका के बीच "Counter Terrorism Cooperation Initiative" की स्थापना 2011 में आतंकवाद-रोधी सहयोग को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से की गई, जिसने द्विपक्षीय सुरक्षा सहयोग को एक संस्थागत और व्यावहारिक आधार प्रदान किया। इस पहल का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों की आतंकवाद से प्रभावी ढंग से निपटने की क्षमता को बढ़ाना तथा सहयोग के विभिन्न आयामों को विकसित करना था। इसके अंतर्गत खुफिया जानकारी के आदान-प्रदान, जांच प्रक्रियाओं के सुदृढ़ीकरण, आधुनिक तकनीकों के उपयोग तथा सर्वोत्तम प्रथाओं के साझा आदान-प्रदान पर विशेष बल दिया गया। साथ ही, फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशालाओं के बीच सहयोग, जांच कौशल के विकास तथा आतंकवाद से संबंधित मामलों में पारस्परिक सहायता की प्रक्रियाओं को भी विकसित किया गया। यह पहल केवल सुरक्षा एजेंसियों तक सीमित नहीं रही, बल्कि इसमें मनी लॉन्ड्रिंग, नकली मुद्रा तथा आतंकवाद के वित्तपोषण को रोकने जैसे वित्तीय अपराधों पर भी ध्यान केंद्रित किया गया। इसके अतिरिक्त, परिवहन एवं अवसंरचना सुरक्षा—विशेषकर रेल और सार्वजनिक परिवहन—समुद्री सुरक्षा, तथा बंदरगाह एवं सीमा सुरक्षा के क्षेत्रों में भी सहयोग को बढ़ावा दिया गया। दोनों देशों ने तटरक्षक बलों और नौसेनाओं के बीच समन्वय बढ़ाने तथा विशेष आतंकवाद-रोधी इकाइयों, जैसे भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड (NSG), के साथ प्रशिक्षण और संपर्क को सुदृढ़ करने पर भी जोर दिया। हालाँकि, इस सहयोग के बावजूद कुछ सीमाएँ भी सामने आई हैं, क्योंकि दोनों देशों की आतंकवाद संबंधी प्राथमिकताएँ भिन्न रही हैं—भारत

का दृष्टिकोण मुख्यतः क्षेत्रीय एवं पाकिस्तान-प्रेरित आतंकवाद पर केंद्रित है, जबकि अमेरिका का दृष्टिकोण अधिक वैश्विक और रणनीतिक रहा है। इसके कारण कई बार सहयोग अपेक्षित स्तर तक प्रभावी नहीं हो पाया। समग्र रूप से, यह पहल भारत–अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण कदम है, जिसने आतंकवाद के विरुद्ध संयुक्त प्रयासों को संस्थागत रूप दिया है और सुरक्षा, खुफिया सहयोग, तकनीकी साझेदारी तथा क्षमता निर्माण के माध्यम से दोनों देशों के बीच विश्वास को सुदृढ़ किया है, यद्यपि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नीतिगत समन्वय और दृष्टिकोण में सामंजस्य आवश्यक बना हुआ है।

वासेनार व्यवस्था / समझौता – 2017: -

वासेनार व्यवस्था (Wassenaar Arrangement) एक बहुपक्षीय निर्यात नियंत्रण तंत्र है, जिसकी स्थापना 1996 में पारंपरिक हथियारों तथा "ड्यूल-यूज़" (द्वि-उपयोगी) वस्तुओं और प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित करने के उद्देश्य से की गई थी। इसका मुख्य लक्ष्य अंतरराष्ट्रीय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा को सुदृढ़ करना तथा संवेदनशील तकनीकों और हथियारों के अनियंत्रित प्रसार को रोकना है। यह एक स्वैच्छिक एवं गैर-बाध्यकारी व्यवस्था है, जिसमें सदस्य देश पारदर्शिता और जिम्मेदार निर्यात के सिद्धांतों का पालन करते हैं । भारत को दिसंबर 2017 में इस व्यवस्था की सदस्यता प्राप्त हुई, जो उसकी वैश्विक गैर-प्रसार (non-proliferation) व्यवस्था में बढ़ती भूमिका को दर्शाती है। इस सदस्यता के माध्यम से भारत को उन्नत प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुँच, निर्यात नियंत्रण व्यवस्था में विश्वसनीयता, तथा वैश्विक व्यापार और सामरिक सहयोग में अधिक अवसर प्राप्त हुए। भारत ने अपनी घरेलू निर्यात नियंत्रण नीतियों, विशेष रूप से SCOMET सूची, को इस व्यवस्था के अनुरूप बनाकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। वासेनार व्यवस्था के अंतर्गत दो प्रमुख नियंत्रण सूचियाँ होती हैं—पारंपरिक हथियार सूची और द्वि-उपयोगी वस्तु एवं प्रौद्योगिकी सूची। द्वि-उपयोगी तकनीकें वे होती हैं जिनका उपयोग नागरिक और सैन्य दोनों उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जैसे साइबर तकनीक, इलेक्ट्रॉनिक्स, एयरोस्पेस आदि। 2013 में इस व्यवस्था के अंतर्गत साइबर निगरानी प्रणालियों और "इंट्रूज़न सॉफ्टवेयर" को भी नियंत्रण सूची में शामिल किया गया, जिससे इन संवेदनशील तकनीकों के निर्यात पर निगरानी बढ़ाई गई। हालाँकि, इस व्यवस्था की कुछ सीमाएँ भी हैं। यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है और इसका प्रभाव सदस्य देशों द्वारा अपनाई गई राष्ट्रीय नीतियों पर निर्भर करता है। इसके अतिरिक्त, 2013 संशोधन को लेकर आलोचना भी हुई, क्योंकि "इंट्रूज़न सॉफ्टवेयर" की व्यापक परिभाषा के कारण वैध साइबर सुरक्षा अनुसंधान और तकनीकी विकास प्रभावित होने की आशंका व्यक्त की गई। समग्र रूप से, वासेनार व्यवस्था में भारत की सदस्यता उसकी वैश्विक रणनीतिक स्थिति को सुदृढ़ करती है तथा उसे उन्नत प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में अधिक अवसर प्रदान करती है। यह समझौता भारत को एक जिम्मेदार तकनीकी और सामरिक शक्ति के रूप

में स्थापित करने में सहायक है, यद्यपि इसके प्रभावी क्रियान्वयन के लिए संतुलित और विवेकपूर्ण नीति-निर्माण आवश्यक है।

MTCR – मिसाइल प्रोद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था – 2016: -

मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) एक बहुपक्षीय, स्वैच्छिक और सहमति-आधारित निर्यात नियंत्रण तंत्र है, जिसकी स्थापना 1987 में उन प्रणालियों और तकनीकों के प्रसार को रोकने के लिए की गई थी, जो सामूहिक विनाश के हथियारों (WMD) को ले जाने में सक्षम हैं। इसका मुख्य उद्देश्य मिसाइलों, मानवरहित प्रणालियों तथा उनसे संबंधित द्वि-उपयोगी (dual-use) प्रौद्योगिकियों के निर्यात को नियंत्रित कर वैश्विक स्तर पर प्रसार (proliferation) को सीमित करना है। भारत ने जून 2016 में MTCR की सदस्यता प्राप्त की, जो वैश्विक गैर-प्रसार व्यवस्था में उसके बढ़ते एकीकरण का महत्वपूर्ण संकेत है। इस सदस्यता के माध्यम से भारत को उन्नत मिसाइल और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों तक बेहतर पहुँच की संभावनाएँ बढ़ीं, साथ ही उसे वैश्विक निर्यात नियंत्रण नीतियों के निर्धारण में भागीदारी का अवसर भी मिला। भारत ने अपनी निर्यात नियंत्रण प्रणाली, विशेषकर SCOMET सूची और संबंधित कानूनों, को MTCR के दिशा-निर्देशों के अनुरूप बनाकर अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की। MTCR के अंतर्गत नियंत्रित वस्तुओं को दो श्रेणियों—Category I और Category II—में विभाजित किया गया है। Category I में वे पूर्ण मिसाइल प्रणालियाँ और प्रमुख घटक शामिल होते हैं जिनका निर्यात अत्यधिक प्रतिबंधित होता है, जबकि Category II में द्वि-उपयोगी तकनीकें और उपकरण शामिल होते हैं, जिनका निर्यात कुछ शर्तों के साथ संभव है। इस व्यवस्था की एक महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि यह कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है, बल्कि सदस्य देशों द्वारा स्वेच्छा से अपनाए गए दिशा-निर्देशों पर आधारित है।

भारत के लिए MTCR सदस्यता का प्रमुख लाभ यह है कि इससे उसे उच्च तकनीकी सहयोग, विशेष रूप से अंतरिक्ष और रक्षा क्षेत्र में, अधिक अवसर प्राप्त होते हैं। यद्यपि यह सदस्यता स्वतः तकनीक हस्तांतरण की गारंटी नहीं देती, फिर भी इससे उन्नत तकनीकों तक पहुँच आसान होती है और निर्यात लाइसेंसिंग में लचीलापन बढ़ता है। इसके अतिरिक्त, भारत को वैश्विक स्तर पर एक जिम्मेदार शक्ति के रूप में मान्यता मिलती है, जो मिसाइल और WMD प्रसार को रोकने के प्रयासों में सक्रिय भूमिका निभाती है। हालाँकि, MTCR की कुछ सीमाएँ भी हैं, जैसे इसका गैर-बाध्यकारी स्वरूप और प्रवर्तन (enforcement) की कमी। साथ ही, यह व्यवस्था मुख्यतः अंतरराष्ट्रीय निर्यात नियंत्रण पर केंद्रित है और सदस्य देशों के आंतरिक मिसाइल विकास पर प्रतिबंध नहीं लगाती। इसके बावजूद, भारत की सदस्यता न केवल उसके सामरिक हितों को सुदृढ़ करती है, बल्कि वैश्विक गैर-प्रसार प्रयासों को भी मजबूती प्रदान करती है।

2016 – USA ने भारत को रक्षा साझेदार बनाया: -

सन् 2016 में भारत–अमेरिका रक्षा संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर स्थापित हुआ, जब अमेरिका ने भारत को "मेजर डिफेंस पार्टनर" (Major Defense Partner) का दर्जा प्रदान किया। यह दर्जा भारत के लिए विशिष्ट था और इसका अर्थ यह था कि अमेरिका भारत को अपने निकटतम सहयोगी देशों के समान स्तर पर रक्षा सहयोग, तकनीकी हस्तांतरण और रणनीतिक सहभागिता के संदर्भ में देखेगा । इस निर्णय के पीछे भारत–अमेरिका के बीच विकसित हो रहे व्यापक रणनीतिक संबंध थे, जिनकी नींव 2005 के रक्षा सहयोग फ्रेमवर्क, 2012 के DTTI (Defence Technology and Trade Initiative) और 2015 में इसके नवीनीकरण जैसे कदमों से मजबूत हुई। 2016 में इस दर्जे के साथ अमेरिका ने संकेत दिया कि वह भारत को 21वीं सदी में एक प्रमुख वैश्विक शक्ति के रूप में उभरते देखना चाहता है तथा उसके साथ दीर्घकालिक रक्षा साझेदारी को सुदृढ़ करना चाहता है। मेजर डिफेंस पार्टनर का दर्जा मिलने से भारत को उच्च स्तरीय रक्षा तकनीकों और द्वि-उपयोगी (dual-use) तकनीकों तक अधिक सहज पहुँच प्राप्त हुई, साथ ही निर्यात नियंत्रण नियमों में कुछ हद तक ढील भी मिली। इसके परिणामस्वरूप रक्षा व्यापार, सह-उत्पादन (co-production) और सह-विकास (co-development) के अवसरों में वृद्धि हुई तथा दोनों देशों के बीच रक्षा उद्योगों के सहयोग को बढ़ावा मिला। हालाँकि, यह दर्जा किसी औपचारिक सैन्य गठबंधन (military alliance) का संकेत नहीं था, बल्कि एक रणनीतिक साझेदारी का प्रतीक था, जिसमें भारत की स्वायत्त विदेश नीति और सामरिक स्वतंत्रता को भी सम्मान दिया गया। इसके बावजूद, इस पहल ने भारत–अमेरिका रक्षा संबंधों को नई दिशा दी और दोनों देशों के बीच तकनीकी, औद्योगिक तथा सामरिक सहयोग को और अधिक गहरा किया। इस प्रकार, 2016 में भारत को "मेजर डिफेंस पार्टनर" का दर्जा मिलना भारत–अमेरिका संबंधों में एक महत्वपूर्ण परिवर्तनकारी कदम था, जिसने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को एक उच्च स्तर पर स्थापित किया और भविष्य में व्यापक रणनीतिक सहयोग की नींव रखी।

भारत–अमेरिका के आधारभूत रक्षा समझौते **(GSOMIA–2002, LEMOA–2016, COMCASA–2018, BECA–2020): -**

भारत और अमेरिका के बीच विकसित हो रही रणनीतिक साझेदारी को संस्थागत और व्यावहारिक आधार प्रदान करने में चार आधारभूत रक्षा समझौतों—GSOMIA (2002), LEMOA (2016), COMCASA (2018) और BECA (2020)—की केंद्रीय भूमिका रही है। ये समझौते केवल औपचारिक दस्तावेज नहीं हैं, बल्कि ऐसे संरचनात्मक तंत्र हैं, जिन्होंने दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग, तकनीकी आदान-प्रदान, खुफिया साझेदारी तथा सैन्य समन्वय को व्यवस्थित और प्रभावी बनाया है। इन समझौतों ने भारत–अमेरिका संबंधों को एक पारंपरिक कूटनीतिक सहयोग से आगे बढ़ाकर एक व्यापक और बहुआयामी रणनीतिक साझेदारी में परिवर्तित कर दिया है । इन समझौतों की शुरुआत 2002 में GSOMIA से हुई, जिसने दोनों देशों के बीच साझा की जाने वाली संवेदनशील सैन्य सूचनाओं की सुरक्षा के लिए एक औपचारिक ढांचा प्रदान किया। इस समझौते के माध्यम से खुफिया सहयोग को बढ़ावा

मिला और रक्षा क्षेत्र में विश्वास निर्माण की प्रक्रिया मजबूत हुई। GSOMIA ने आगे आने वाले समझौतों के लिए आधार तैयार किया, क्योंकि किसी भी उन्नत रक्षा सहयोग के लिए गोपनीय सूचनाओं की सुरक्षा अनिवार्य होती है। इसके बाद 2016 में LEMOA के हस्ताक्षर ने दोनों देशों के सैन्य सहयोग को व्यावहारिक स्वरूप प्रदान किया। इस समझौते के तहत भारत और अमेरिका की सेनाओं को एक-दूसरे के सैन्य अड्डों का उपयोग ईंधन भरने, रसद आपूर्ति, मरम्मत तथा अन्य आवश्यक सेवाओं के लिए करने की अनुमति मिली। इससे विशेष रूप से भारतीय नौसेना की वैश्विक पहुँच और संचालन क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई तथा संयुक्त सैन्य अभ्यास और मानवीय सहायता अभियानों को अधिक प्रभावी बनाया जा सका।

2018 में COMCASA के हस्ताक्षर ने रक्षा सहयोग को तकनीकी और संचार के स्तर पर नई ऊँचाई दी। इस समझौते के माध्यम से भारत को सुरक्षित और एन्क्रिप्टेड संचार प्रणालियों तक पहुँच प्राप्त हुई, जिससे सैन्य अभियानों में वास्तविक समय (real-time) सूचना साझा करना संभव हुआ। इसके परिणामस्वरूप भारतीय सेनाओं की निगरानी, खुफिया जानकारी प्राप्त करने और सामरिक निर्णय लेने की क्षमता में उल्लेखनीय सुधार हुआ। साथ ही, यह समझौता उन्नत रक्षा उपकरणों और प्लेटफॉर्मों के प्रभावी उपयोग के लिए भी आवश्यक था। अंततः 2020 में BECA के हस्ताक्षर ने इस सहयोग को और अधिक परिष्कृत और उन्नत बना दिया। BECA के माध्यम से भारत को अमेरिकी भू-स्थानिक (geospatial) डेटा, उपग्रह चित्रों और उन्नत नेविगेशन तकनीकों तक पहुँच मिली, जिससे उसकी मिसाइल प्रणाली, ड्रोन संचालन और सैन्य अभियानों की सटीकता में वृद्धि हुई। यह समझौता विशेष रूप से आधुनिक युद्ध प्रणाली में महत्वपूर्ण है, जहाँ सटीक जानकारी और डेटा आधारित निर्णय अत्यंत आवश्यक होते हैं। इन चारों समझौतों का संयुक्त प्रभाव यह है कि इन्होंने भारत–अमेरिका रक्षा संबंधों को एक समन्वित और परस्पर निर्भर ढांचे में परिवर्तित कर दिया है। इनके माध्यम से न केवल सैन्य इंटरऑपरेबिलिटी (interoperability) में वृद्धि हुई है, बल्कि उन्नत तकनीकी सहयोग, संयुक्त उत्पादन और अनुसंधान के नए अवसर भी खुले हैं। भारत को इससे आधुनिक हथियार प्रणालियों, वास्तविक समय की खुफिया जानकारी और उच्च स्तरीय तकनीकी संसाधनों तक पहुँच प्राप्त हुई है, जिससे उसकी सैन्य क्षमता और वैश्विक रणनीतिक स्थिति सुदृढ़ हुई है। हालाँकि, इन समझौतों को लेकर भारत में कुछ चिंताएँ भी उभरी हैं, विशेषकर रणनीतिक स्वायत्तता, डेटा सुरक्षा और विदेशी हस्तक्षेप की संभावनाओं को लेकर। फिर भी, भारत ने इन समझौतों को अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप ढालते हुए संतुलित दृष्टिकोण अपनाया है, जिससे सहयोग और स्वायत्तता दोनों के बीच सामंजस्य बनाए रखा जा सके। समग्र रूप से, GSOMIA, LEMOA, COMCASA और BECA भारत–अमेरिका संबंधों के आधारभूत स्तंभ हैं, जिन्होंने द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को नई दिशा और गहराई प्रदान की है। ये समझौते न केवल दोनों देशों के बीच सामरिक विश्वास को मजबूत करते हैं, बल्कि इंडो-पैसिफिक क्षेत्र तथा वैश्विक सुरक्षा परिदृश्य में भी महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं।

संदर्भ सूची: -

1. अली, एस. (2020). Indo–US Foundational Agreements: Contributing to India's Military Capabilities, Centre for Strategic and Contemporary Research, Perspectives Issue No. 18.
2. कुमार, अजय एवं कुमार, विजेन्दर. (2025). भारत और अमेरिका के आर्थिक व सैन्य सम्बन्ध, *International Journal of Advanced Academic Studies*, 7(4), 263–267।
3. कुमार, रविन्द्र एवं चौहान, भारती. (2022). इक्कीसवीं सदी में भारत–अमेरिका के मध्य रक्षा सम्बन्धों का विकास, *International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science*, 4(3), 174–177।
4. जैन, योगेश एवं नाथ, नरेन्द्र. (2025). भारत–अमेरिका संबंध: वर्तमान नवीन आयाम एवं चुनौतियाँ तथा उभरता रणनीतिक सहयोग, *International Journal of Political Science and Governance*, 7(8), 102–106।
5. जोशी, एम. (2024). A Survey of India–US Defence Cooperation, ORF Special Report No. 224, Observer Research Foundation.
6. डॉ उदयभान सिंह. (2022). अन्तर्राष्ट्रीय संबंध- विविध आयाम, मुद्दे और चुनौतियां, मैकग्रा पब्लिकेशन।
7. डॉ वी. एन. खन्ना, लिपाक्षी अरोड़ा एवं लेस्ली के. कुमार. (2018). भारत की विदेश नीति, विकास पब्लिशिंग।
8. त्रिपाठी, प्रियंका. (2026). वर्तमान दौर में भारत–अमेरिका सम्बन्ध, *Idealistic Journal of Advanced Research in Progressive Spectrums (IJARPS)*, 5(01), 5–10.
9. धान, नमिता. (2022). भारत–अमेरिका संबंधों का इतिहास, *International Journal of Humanities and Social Science Research*, 8(2), 74–76।
10. परपियानी, के., एवं अय्यर, पी. (2020). Towards an India–US Consensus on Counterterrorism Cooperation, Observer Research Foundation.
11. बिस्वास, ए. (2015). India in the Missile Technology Control Regime: Prospects and Implications, ORF Occasional Paper No. 70.
12. भगवागर, आर. वी. (2020). India–US Military Technology Cooperation, Technology Linkages and Policies Series No. 3, The Centre for Security Studies, Jindal School of International Affairs.
13. मलिक, पी. के. (2018). 2+2 Dialogue and Indo–U.S. Relations, Vivekananda International Foundation (VIF Paper).

14. मीना, सोमशरण. (2019). भारत–अमेरिका संबंध: उभरते आयाम व चुनौतियां, *Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika*, 6(6), H18–H21।
15. मुहम्मद, ए. एस. (2006). Indo–US Civilian Nuclear Cooperation Agreement: Implications on South Asian Security Environment, The Henry Stimson Center.
16. श्रीवास्तव, दीप कुमार. (2019). भारत–अमेरिका का संबंध, *International Journal of Humanities and Social Science Invention (IJHSSI)*, 8(4), 72–78।